संख्या- 41 /2017/427/22-4-17-48(116)/15

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक-15 जून, 2017

विषय- प्रदेश की कारागारों में स्थापित मोबाइल फोन जैमरों के सफल संचालन हेतु 17 कारागारों में सोलर पावर बैकअप की व्यवस्था हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-16408/आधु0-01/मो0फो0जै0/2014, दिनांक-19 मई, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की कारागारों में स्थापित मोबाइल फोन जैमरों के सफल संचालन हेतु 17 कारागारों में सोलर पावर बैकअप की व्यवस्था हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्न तालिका में उल्लिखित कारागारों हेतु रू0 1082.25 लाख की लागत पर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में शतप्रतिशत धनराशि अर्थात रू0 10,82,25,000/-(रूपया दस करोड़ बयासी लाख पच्चीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0	कारागार का नाम	जैमरों की सं0	प्रति जैमर आवश्यक सोलर पावर (किलोवाट में)	आवश्यक सोलर पावर बैकअप (किलोवाट में)	कुल लागत (सब्सिडी को घटाने के उपयुक्त) प्रति यूनिट रू0 2.34 लाख (रूपये लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	जि0का0 प्रतापगढ़	08	2.5	20	39.00
2	जि0का0 गोरखपुर	08	2.5	20	39.00
3	जि0का0 एटा	07	2.5	20	39.00
4	जि0का0 पीलीभीत	05	2.5	15	29.25
5	जि0का0 देवरिया	06	2.5	15	29.25
6	जि0का0 बांदा	05	2.5	15	29.25
7	जि0का0 मैनपुरी	12	2.5	30	58.50
8	जि0का0 झांसी	07	2.5	20	39.00
9	जि0का0 आजमगढ़	08	2.5	20	39.00
10	जि0का0 बलिया	04	2.5	10	19.50
11	के0का0 नैनी	28	2.5	70	136.50
12	जि0का0 लखनऊ	24	2.5	60	117.00
13	जि0का0 बरेली	41	2.5	100	195.00
14	जि0का0 फिरोजाबाद	13	2.5	40	78.00
15	जि0का बुलन्दशहर	13	2.5	40	78.00
16	जि0का0 गाजियाबाद	12	2.5	30	58.50
17	जि0का0 अलीगढ़	12	2.5	30	58.50
				योग-	1082.25

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(क) उक्त धनराशि का व्यय/ उपयोग वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए किया जायेगा।

(ख) उक्त कार्य भारत सरकार के उघम पीईसी लिमिटेड के माध्यम से कराया जायेगा एवं उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार उ0प्र0 एवं पीईसी लिमिटेड का होगा।

(ग) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(घ) सोलर एनर्जी आधारित पावर बैकअप उपकरणों को क्रय करते समय क्रय सम्बन्धी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार का होगा एवं किसी भी अनियमितता के लिए वह उत्तरदायी होंगे।

(ङ) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 30.09.2017 तक अनिवार्य रूप से कर लिया जायेगा।

(च) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक खाता तथा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(छ) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग/व्यय उसी पर किया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा की जायेगी।

(ज) कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के संपरीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिए जायं।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800- अन्य व्यय-14-कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में उपलब्ध बजट प्राविधान से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक- 02.01.2017 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-41/2017/427(1)/22-4-17-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) प्रबंधक, पीईसी लिमिटेड " हंसालय" 15 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in